कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् संतोष चतुर्वेदी व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि बालाकुण्ड वार्ड नं0 47,कोटा का स्थानांतरण राउमावि गोपालपुरा,काल्याखेड़ा, कोटा किया गया। संतोष चतुर्वेदी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 2998/2019 संतोष चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। अपील संख्या 2998/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2019 द्वारा संतोष चतुर्वेदी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन का सकारण आदेश से निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती संतोष चतुर्वेदी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा श्रेणी महिला होने तथा निरंतर 30 वर्षों तक ग्रामीण सेवा में सेवा देने, वेरीकोसवेरी रोग से पीड़ीत होने, पैर में तकलीफ होने से आवागमन में परेशानी होने तथा प्रतिकुल पारिवारिक परस्थितियों होने के आधार पर अपना समायोजन पूर्व पदस्थापित स्थान राउमावि बालाकुण्ड, वार्ड न0 47, कोटा में करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा किसी भी रिक्त स्थान का परिवेदना में वर्णन नहीं किया है तथा दूरभाष के वार्ता उपरांत भी किसी भी रिक्त पद पर समायोजन हेतु परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थिया का स्थानांतरण कोटा जिले में ही किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं। याचिकार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 01.11.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/अ.2998/2019/संतोष/2020 | 18 दिनांक:–04/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा............................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि), जयपुर....................................।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर